

महिलाओं का आरक्षण

~~CONFIDENTIAL~~

41

प्रधान 18/ 99/PT-2/92

822

श्री सुधीर कुमार, 15/11/2000
सचिव,
उत्तरो प्रांत।

सेवा में,

1. समस्त प्राचुर्य सचिव/सचिव, उत्तरो प्रांत।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयों प्र., उत्तरो प्रांत।
3. समस्त मण्डलाधुवास/जिलाधिकारी, उत्तरो प्रांत।

कार्मिक अनुभाग-2: लखनऊ: दिनांक: 26, फरवरी, 1999

विषय:- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर श्रीधी भट्टी के प्रश्न पर महिलाओं के लिए आरक्षण।

गहोरा,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ।। मन्त्रिभित शतों रथ्य उपबन्धों के अधीन राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर श्रीधी भट्टी के प्रश्न पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:-

1. आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भट्टी के प्रश्न पर होगा। पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा।
2. आरक्षण हारजेन्टल प्रकृति का होगा ग्राहांत्रि किसी राज्याधीन लोक सेवा और दूष पर महिलाओं गारक्षण के अधीन घटनित महिला जिंदगी ब्रेनी की होगी उसे उस ब्रेनी के प्रति उमाधोर्जित किया जायेगा।
3. पदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर घटनित होती है तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति प्राप्ति की जायेगी।

4. राज्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में श्रीधी भट्टी के लिए किसी घटना में महिलाओं के लिए आरक्षित पद पदि महिला अधिकारी के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके तो वह पद उपयुक्त पुरुष अधिकारी से भरा जायेगा वे भविष्य के लिए अग्रिमी नहीं किया जायेगा।
5. राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर श्रीधी भट्टी के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में पांचित सभी अवृत्ताएं, पट्टि युसंगत सेवानियमाली में उल्लिखित पूर्ववत् गलीएं के अनुस्पृ रहेगी व उनमें इस गारक्षण से कोई परिपर्वतन नहीं होगा।

(Signature)
दूषित महाराजीक (स्वाक्षर)
दूषि, लखनऊ

पह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे तो किन रिक्तियों को करने के लिए विज्ञापन जारी किये जा सकते हैं परं जिन रिक्तियों के लिए घटना की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सकती है, उत्तराधिकार नहीं होगा।

घटना की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद अधिकारीकृत आधार के बाल लिखित परीक्षा धनि साक्षात्कार हो सकती है जिसमें अधिकारीकृत आधार लिखित परीक्षा साक्षात्कार हो जाता है। जिस मात्रों पर अधिकृत आधार लिखित परीक्षा होता है। और साक्षात्कार के दोनों के उनके सम्बन्धमें लक्षण प्रक्रिया प्रारम्भ होने का प्रयोग होता है। आवधि भले इसके बाद आधार लिखित परीक्षा का लिखित आवधि जाति योग्यता अनुसूचित जनजाति योग्यता और अन्य प्रियडे वर्ग के लिए आरक्षण।

अधिनियम 1994 में परिभासित "तोक लेवाओं और पदों" से है।

कृपया शासन के उपरोक्त आदेशों का अनुगाम सुनिश्चित करने का कष्ट करें। पह भी अनुरोध है कि शासनादेश से अपेक्षित सभी अधिकारियों को भी अवगत कर दें।

भगवीष,

(लाल)

शुपौर शुपार
राजिय

संख्या 18/1/99-फा-2/99 तदुदिनांक

"उपरोक्त" की प्रतिकृतियाँ अधिकारियों को अनुगामार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु इस अधिकारीकृत राजिया के कृपया गाने संभवित अवस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें:-

- 1- राजिया, गहामहिम राज्यपाल, उप्र०
- 2- निदेशक, उप्र० प्रशासन अकादमी, नीनीताल।
- 3- राजा, लोक गोपा आयोग, उप्र० छलावाधाद।
- 4- निदेशक, मुख्यमंत्री अधिकारी प्रियेशाला, उप्र० को शुपौर शुपार हेतु।
- 5- संघियालय के सामाजिक अनुभाग।
- 6- समस्त निजी संघिय, मादृ मंत्रीगण, उप्र०।

आशा है,

(लाल)

शुपौर शुपार
राजिय

प्रेषक,

श्री पोरोल्ड नारायण,
मुख्य सचिव
उ०प० शासन।

सेवा बोर्ड

१. सम्मान प्रदाय संघर्ष/सचिव, उ०प० शासन।
२. सम्मान विभाग एवं प्रध/कार्यालयाधीश, उ०प०।
३. सम्मान मण्डलाधीश/जिला अधिकारी, उ०प०।

कार्मिक अनुभाग-

तिथि: दिनांक ३० अगस्त, १९९९

पिंडपत्र राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण।

महोदय,

१. उत्पर प्रेस शासन कार्मिक अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या - १८/१/९९/गा-२/९९ द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए २० प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। इस शासनादेश के विभिन्न बिन्दुओं का उल्लेख निम्नवत् किया जा रहा है:-
आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर होगा। पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा।
२. आरक्षण हारियन्टल प्रृथिवी का होगा अर्थात् फिसी राज्याधीन लोक सेवा और मन्द मर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाएगा।
३. पर्यावरण महिला, फिसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर भेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिट्रिविंग के प्रति की जावेगी।
४. राज्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी घटन महिलाओं के लिए आरक्षित पद परिवर्तन अधिकारी अधिकारी के उपलब्ध संकायों के बाहरी भौमिका जासके तो वह पद उपयुक्त पुरुष अधिकारी से भरा जावेगा व भविष्य के लिए अंग्रेजीत नहीं किया जावेगा।

राज्यपालीन लोक सेवाओं और पर्याप्त पर सीधी पर्याप्त के लिए मौजूदगारी के सम्बन्ध में भारतीय सभी अवृत्ताएँ, परन्तु इसकी दृष्टिकोण भारतीय सभा सत्रों में उल्लिखित पूर्वधारा गई हार्दिकों के अनुच्छेद रहे ही से वर्तमें इस भारतीय सेवा के लोक परिवर्तन नहीं होगा।

लोकों भवाओं एवं पर्याप्त का तात्पर्य, ३०५० लोक सेवा अनुच्छेद जातियों, अनुदृष्टि जनपालियों और अन्य ऐसी सर्वीस के लिए आवश्यक अधिकारियों में परिवर्तन, "लोक सेवाओं और पर्याप्त" हो जाए।

इस अनुच्छेद में मुख्य पर्याप्त का निर्देश है कि भारत सरकार के संबंध में आपाएँ हैं यिन भारतीयों का अनुपालन, अनेक विभागों में नहीं किया जा रहा है पर्याप्त इस प्रतिसनादेश के तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने के आदेश दिए गए थे अतः इस सम्बन्ध में प्रमुख निर्दिष्ट नियम जाता है कि भारतीय २६ फरवरी, १९९९ तात्पर्य के सम्बन्ध में अप्रैल २६ फरवरी, १९९९ से लागू माना जाएगा। लेकिन जिन दिविकारों को इस तिथि के लिए २६.२.१९९९ की विज्ञापन जारी किये जा चुके थे या जिन दिविकारों के लिए तथा पर्याप्त की प्रक्रिया पुरारम्भ हो चुकी थी उन पर पर्याप्त भारतीयों का लागू नहीं किया गया है। भारतीयों की तिथि दिनांक २६.२.१९९९ का उसके बाद जिन दिविकारों को भरने के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं या जिन दिविकारों को भरने की प्रक्रिया इस तिथि के बाद होती है उन पर पर्याप्त आदेश लागू होगा।

कृपया भारतीय के उपरोक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

मवदीप,

१०-पोर्टन्ड्र नारायण

मुठप सचिव ।

संख्या-१०/१/१९९९, का-२/१९९९ तदीदनांक

उपरोक्त की प्रतिनियिप निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं अधिकारियों का धर्याणी हेतु इस अध्युक्ति के साथ कि कृपया अपने संबंधित अधीनस्थीयों भी अवगत कराने का कष्ट करें:-

१. संचिव, महामहिम राज्यपाल, ३०५०।
२. निदेशक, ३०५० प्रशासन ग्रामी, भैनीताल।
३. संचिव, लोक सेवा आयोग, ३०५० इलाहाबाद।

4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ०प्र० को पुँचार-पुसार हेतु ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6. समस्त निजी सचिव, मा० मन्त्रीण ।

आज्ञा से,

६०- सुधीर कुमार
सचिव ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

सं०-२३५/५८/मिस/स०-१०/४-८२टी. सी.-११।

दिनांक: इलाहाबाद तितम्बर, १९९९

प्रतिलिपि निम्नतिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्धवाही हेतु प्रेषितः—

- १। समस्त निजीसचिव मा०अध०/सदस्यगण के सूचनार्थ/सचिव के दैप्यकार सहायक।
- २। समस्त प्रभारी अधिकारी ।
- ३। समस्त अनुभाग अधिकारीगण/सहायक लेखार्थिकारीगण/पर्येक्षक लाधप सत्ताधम ।
- ४। इचार्ज नियंत्रणकारी/शोधार्थिकारी/प्राप्तकालपाद्यक ।

आज्ञा से,

(१२३)१९९९
एस. एन. श्रीमास्तव
संयुक्त सचिव ।

प्रेषक



संख्या-18 / 1 / 99 / का-2 / 2006

पी०एन० यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ०प्र० शासन।
 - समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
 - समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊः दिनांक, ९. जनवरी, २००७

विषयः—राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 1999 तथा 30 अगस्त, 1999 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे आंपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों द्वारा राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये गये थे :—

(1) आरक्षण राज्याधीन लोक रोवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रकम पर होगा। पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा।

(2) आरक्षण हारिजेन्टल प्रकृति का होगा अर्थात् किसी राज्याधीन लोक सेवा और अपर पुलिस महांकांड पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उसीं श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(3) यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी।

ବିଜ୍ଞାନ

(4) राज्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए आवश्यकता पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके। यह पद उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा कि भविष्य के लिए अप्रनीत नहीं किया जायेगा।

लैंड अयनात कहानी कर्या जायगा।
उत्तमा उत्तमा नाम है १४/XVII
वा उत्तमा नाम है दास

(5) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में वांछित सभी अर्हताएँ, पद सम्बन्धी गुरुसंगत नियमावली में उल्लिखित पूर्ववत् अर्हताओं के अनुरूप रहेगी य उनमें इस शासनादेश संकोह परिवर्तन नहीं होगा।

(6) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, लेकिन जिन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किये जा चुके हैं, या जिन रिक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होने की स्थिति में ऐसी परीक्षा/साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने से है। जिन पदों पर भर्ती का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हैं उनके सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने से है।

(7) लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उ0प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित "लोक सेवाओं और पदों" से है।

3. शासन के साज्जान मैं यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त शासनादेशों की व्यवस्था का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है।

भवदीय,

(पी0एन0 यादव)
विशेष सचिव,

संख्या-18/1/99/का-2/2006(1) तददिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

आज्ञा से

(नन्दलाल प्रसाद)
अनु सचिव।